विभिन्न मंत्रालयों में कठिनाइयां पैदा की जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT–445/69]

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नति के लिये निर्धारित अभ्यंश

3906. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
कुमारी कमला कुमारी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या गृह–कार्य मंत्री 13 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 738 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों, 1962 के अन्तर्गत सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति के लिए निर्धारित किये गये अभ्यंशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों और पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों की कार्यकुशलता की अलग–अलग जांच करने का है;

(ग) गत पांच वर्षों में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये और पदोन्नत किये गये कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने–कितने व्यक्ति हैं; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की नियुक्तियां उनके लिये निर्धारित अभ्यंशों के अनुसार की जाती हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ). एक विवरण सदन के सभा पटेल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT–446/69]

एयर इंडिया में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

3907. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री ब० रा० परमार :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया कारपोरेशन के कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों की वर्तमान संख्या भारत सरकार द्वारा बनाये गये पदों के आरक्षण सम्बन्धी नियमों के अनुसार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों को लागू होने वाले आदेशों के अनुसार, सीधी भर्ती (डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट) द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का 12½% अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित किया जाना होता है।

1 जनवरी, 1969 को भारत में कार्य कर रहे कर्मचारियों की (लाइसेंसधारी वर्गों को छोड़ कर) कुल संख्या 6401 थी, जिसमें से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या